INDIA TEN RUPEES भारत दस रुपये INDIA TEN RUPEES भारत दस रुपये INDIA TEN RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल, ग्वालियर (म.प्र.)

कैम्प - उज्जैन (म.प्र.)

(5) प्र.क्रं. /निगरानी/2016 नि - 3297 - पीबीआर/16

श्री नरसिंह हिरवे अभि० द्वारा उज्जैन कैम्प पर प्रस्तुत। 23-9-16

श्रीमती मृणालिनी उर्फ मनोरमा लोट
पति ओम प्रकाश लोट,
निवासी 77, जुनियर एम.आई.जी. ऋषी नगर,
एक्टेंशन नं. 1, उज्जैन (म.प्र.)

..........आवेदिका

विरूद्ध

ओमप्रकाश पिता सोमेश्वर सुतार
निवासी पानबिहार, टप्पा पानबिहार, तहसील घटिया,
जिला उज्जैन (म.प्र.)

.... अनावेदक

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

विरूद्ध निर्णय दिनांक 31/08/2016 प्र.क्रं. 29/अपील/2015–16 अपीलीय न्यायालय माननीय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग घटिया जिला उज्जैन मध्यप्रदेश से असंतुष्ट होकर।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3297–पीबीआर /16 जिला–उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–12–16	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी घट्टिया जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–8–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक द्वारा केवल 5 – 6 दिन के विलम्ब से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है और विलम्ब का कारण पुत्री की अस्वस्थ्यता बताई गई जो कि पूर्णतः समाधानकारक कारण है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में प्रथमदृष्टया वैधानिक कार्यवाही की गई है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	